Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Service Appeal No.-04/2025]

Pushpa Sinha & Anr.....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	**आदेश** यह अपील वाद जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक-22.4.2025 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-06.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी जिला पदाधिकारी, किशनगंज का मंतव्य/जवाब उनके पत्रांक-695/जि.स्था. दिनांक-04.8.2025 में अंकित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रक्रियात्मक विलम्ब एवं तकनिकी कारणों से स्व. प्रदीप कुमार, तत्कालीन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, किशनगंज के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो सकी है। तथा परिवार वित्तीय संकट की स्थिति में है। उनका कहना है कि जिन नियमों के आलोक में आवेदिका का दावा अस्वीकृत किया गया है, वे इनके मामले में लागु नहीं होता है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक-22.4.2025 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या-01 के कंडिका-04 में अपीलार्थी पुष्पा सिन्हा के आवेदन पत्र पर कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-13293 दिनांक-05.10.1991 के नियम-9(क) एवं पत्रांक-2822 दिनांक-27.4.1995 के कंडिका-6 के आलोक में दावा अनुमान्य नहीं होने के कारण आवेदिका के आवेदन पत्र को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-13293 दिनांक-05.10.1991 के नियम-9(क) में अंकित है कि ''अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुए उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।'' अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के पति के मृत्यु के उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया जा रहा है। एवं तदनुसार उक्त नियम इनके मामले में पूर्णरूपेण लागु नहीं होता है। इस बिन्दू पर विपक्षी की ओर से समुचित जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावे विभागीय पत्रांक-2822 दिनांक-27.4.1995 के कंडिका-6 के अनुसार ''अनुकम्पा के आधार पर आश्रित के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र समर्पित करने की समय-सीमा मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष तक ही रहेगी।'' अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त कंडिका वर्तमान मामले में पूर्णरूपेण लागू नहीं होता है चुँकि मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा वर्ष-2013 में ही अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन दिया गया था। जो रिकॉर्ड पर है। अपीलार्थी के इस अभिकथन के संबंध में भी विपक्षी की ओर से यथोचित जवाब दाखिल नहीं किया गया है।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

21.1.2026

अतः उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी का दावा पूर्णरूपेण Non Admissible नहीं है। अतः इस मामले के समाधान हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, किशनगंज को मामले को प्रतिप्रषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अगली बैठक में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के संदर्भ में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यदि आवश्यक समझें तो इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक दिशा निदेश प्राप्त कर लेंगे। उपरोक्त कार्रवाई एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाय। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया